राजस्थान सरकार

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राज.

क्रमांकः–एफ.18( )/भनिकम/ 647 जयपुर, दिनांक : 12/02/2019

कार्यालय आदेश

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा प्राप्त उपकर राशि का प्रयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्माण श्रमिकों के हितार्थ ही किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अनुपालना में श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कराई गई सोशल ऑडिट, विभागीय स्तर पर गठित दल द्वारा की गई सोशल ऑडिट एवं समय–समय पर जिलो से यूनियन प्रतिनिधियों तथा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सूचना से यह अवगत हुआ है कि गैर निर्माण श्रमिकों अथवा ऐसे श्रमिक जो निर्माण कार्य में नियोजित नहीं है, के द्वारा मण्डल की योजनाओं का बेजा फायदा उठाने के लिए पंजीयन कराये जा रहे है तथा अनियमित रूप से लाभ लेने के प्रयास किए गए है। उक्त प्रवृति पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह आवश्यक हो गया है कि पात्र निर्माण श्रमिकों के पंजीयन तथा योजना का लाभ देने से पूर्व उसकी जांच की जावे, जिससे पात्र व्यक्तियों ही योजना का लाभ मिल सके। हाल ही में जिला जालौर के रानीवाड़ा में ई–मित्र केन्द्र द्वारा ट्रेड यूनियन आदि की सील का दुरूपयोग करने का प्रकरण सामने आया है। अनेक स्थानों पर ई–मित्र केन्द्रों द्वारा 90 दिन का रोजगार प्रमाण पत्र बनवाए जाने के प्रकरण भी लगातार सामने आ रहे हैं।

ठेकेदार की पहचान किए बिना उनके द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर लाखों रूपए का लाभ दिया जाना संदिग्ध है तथा नियोक्ता/सम्पत्ति मालिक के केवल हस्ताक्षर के आधार पर, बिना पूरी तसल्ली किए पंजीयन करने से अपात्र लोगों को पात्र लोगों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

इसके समाधान के लिए पंजीयन तथा योजना आवेदन के समय पोर्टल पर नियोजन का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु चार प्रपत्र LDMS पोर्टल पर अपलोड़ किये जा रहे है। प्रपत्र 'अ' नियोजक/सम्पत्ति मालिक द्वारा, प्रपत्र 'ब' ठेकेदार द्वारा, प्रपत्र 'स' संस्थान/फर्म जो कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, परन्तु निर्माण संबंधी कार्यों में कार्यरत है तथा प्रपत्र 'द' निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा देय है।

सभी जिलो में प्रक्रियात्मक एकरूपता बनाये रखने के लिए निर्धारित प्रपत्रों का ही प्रयोग किया जावे एवं उपरोक्त प्रपत्रों में वांछित विवरण लिये जाने के उपरान्त ही आवेदन का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे झूठे नियोजन प्रमाण–पत्र देने वाले व्यक्तियों/नियोजकों/ठेकेदारों/निर्माण श्रमिक संघो/पर निगरानी रखी जा सके एवं दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सकें। उपरोक्त प्रपत्रों की अवहेलना कर किए गए पंजीयन अथवा योजनाओं में दी गई स्वीकृति माननीय नहीं होगी एवं ऐसे प्रकरणों में स्वीकृति देने वाले पंजीयन अधिकारी/स्वीकृर्ता अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि संदिग्ध भूमिका वाले ई–मित्र केन्द्रों पर विशेष नजर रखी जावे एवं उनके विरूद्ध आवश्यक साक्ष्य इकट्ठे कर संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त माध्यम से मण्डल मुख्यालय को पूर्ण तथ्यों सहित अवगत कराया जावे।

भवदीय

(नवीन जैन)
श्रम आयुक्त, एवं
सचिव, मण्डल

क्रमांकः–एफ.18( )/भनिकम/ 648-53 जयपुर, दिनांक : 12/2/2019

प्रतिलिपि :
1. विशिष्ट राहायक, कार्यालय मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, श्रम नियोजन विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, श्रम कल्याण अधिकारी.....(समस्त)।
4. ए.सी.पी., मुख्यालय, श्रम विभाग, जयपुर।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर LDMS को निर्देशित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार प्रपत्रों को पोर्टल में समायोजित किया जावे, ताकि आवश्यकतानुसार रिपोर्टस जनरेट की जा सकें।
6. रक्षा पत्रावली।

अति. श्रम आयुक्त,
एवं संयुक्त सचिव, मण्डल

घोषणा–पत्र (अ)
(नियोजक/सम्पत्ति मालिक द्वारा)

1. मैं (नाम) .....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....
उम्र.....वर्ष, निवासी.....
(ग्राम पंचायत/ वार्ड/पंचायत समिति/नगर पालिका) जिला..... का रहने वाला हूँ। मेरे आधार नम्बर/भामाशाह नम्बर....., एवं मोबाईल नम्बर.....है।

2. यह कि, मुझ घोषणाकर्ता ने वार्ड नम्बर.....ग्राम.....,ग्राम पंचायत..... पंचायत समिति/नगर पालिका वार्ड नं.....,तहसील.....जिला....., में स्वयं के मकान/अन्य निर्माण कार्य करवाया है। घोषणाकर्ता के पास उक्त सम्पत्ति का मालिकाना हक है।

3. मेरे द्वारा स्थानीय प्रशासन (पंचायत/शहरी निकाय) से अनुमति लिये जाने के उपरान्त उक्त निर्माण करवाया गया है। मेरे द्वारा कुल .....वर्ग फुट निर्माण कार्य दिनांक .....से दिनांक .....के मध्य कराया गया जिसके निर्माण/नवीनीकरण में कुल अनुमानित रूपये .....की लागत आई है। इस पर मेरे द्वारा निर्माण सेस का भुगतान किया गया/देय नहीं है।

4. यह कि मुझ घोषणाकर्ता के मकान पर श्री/श्रीमती .....पत्नी/पुत्र..... निवासी.....ने दिनांक .....से दिनांक.....तक कुल.....दिन बेलदार/मिस्त्री/.....का कार्य किया है।

5. यह है कि उपरोक्त श्रमिक को बेलदारी/मिस्त्री का कार्य मेरे अधीन करने पर रूपये..... प्रतिदिन के हिसाब से कार्य किया है एवं उक्त श्रमिक का मेरे द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। वर्तगान में उक्त श्रमिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

6. यह कि मेरे द्वारा दिया गया उल्लेखित समस्त विवरण/निर्माण श्रमिक प्रमाणीकरण पूर्णतः सही है। प्रमाण–पत्र का विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 420 एवं अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत मेरे विरूद्ध की गई कार्यवाही की मैं पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं एवं कथित प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रमाणित किये गये श्रमिक द्वारा प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिक से कराने हेतु मैं बाध्य रहूँगा।

हस्ताक्षर.....
(नियोजक/सम्पत्ति मालिक)

अंगूठे का निशान
(नियोजक/सम्पत्ति मालिक)

दिनांक.....

स्थान.....

घोषणा–पत्र–(द)
(निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा)

1. मैं (नाम) .....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....
उम्र.....वर्ष....., निवासी.....
(ग्राम पंचायत/ वार्ड/पंचायत समिति/नगर पालिका) जिला..... का रहने वाला हूँ। मेरे आधार नम्बर.....,भामाशाह नम्बर....., एवं मोबाईल नम्बर.....है। मैं .....(यूनियन का नाम एवं पता) का अध्यक्ष/महामंत्री हूँ।

2. यह कि उक्त यूनियन श्रम विभाग में ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या.....है एवं यह पंजीयन.....तक वैद्य है।

3. यह कि, उक्त यूनियन में विभिन्न श्रेणियों के कुल .....निर्माण श्रमिक पंजीकृत है। यूनियन द्वारा पंजीकृत सदस्यों द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों का पूर्ण रिकॉर्ड संधारित किया जाता है।

4. यह कि.....(निर्माण स्थल का पता व विवरण) पर चल रहे निर्माण कार्य पर श्री/श्रीमती .....पत्नी/पुत्र.....निवासी..... दिनांक .....को यूनियन द्वारा सदस्यता प्रदान की गई जिसका यूनियन में सदस्यता क्रमांक .....है। पंजीकृत सदस्य निर्माण श्रमिक है जिसका आधार नं.....,भामाशाह नं.. .....,मोबाईल नं..... है। उक्त श्रमिक/पंजीकृत सदस्य द्वारा उक्त निर्माण कार्य पर दिनांक . .....से दिनांक.....तक कुल .....दिन बेलदार/मिस्त्री/.....के रूप में कार्य किया है। उक्त निर्माण.....(नियोजक का नाम, पता, मोबाईल नं.) द्वारा करवाया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य में नियोजक द्वारा कुल .... श्रमिकों को नियोजित किये गये है।

5. यह कि मेरे द्वारा दिया गया उल्लेखित समस्त विवरण/निर्माण श्रमिक प्रमाणीकरण पूर्णतः सही है। प्रमाण–पत्र का विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 420 एवं अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत मेरे विरूद्ध की गई कार्यवाही की मैं पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं एवं कथित प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रमाणित किये गये श्रमिक द्वारा प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिक से कराने हेतु मैं बाध्य रहूँगा।

दिनांक .....
स्थान.....

हस्ताक्षर.....
(अध्यक्ष/महामंत्री का नाम मय सील)

घोषणा–पत्र–(ब)
(ठेकेदार द्वारा)

1. मैं (नाम) .....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....उम्र..... (वर्ष), निवासी वार्ड.....ग्राम/कॉलोनी.....पंचायत समिति/नगर पालिका.....जिला..... का रहने वाला हूँ। मेरे आधार नम्बर/भामाशाह नम्बर..... एवं मोबाईल नम्बर.....है।

2. मैं/मेरा संस्थान श्रम विभाग.....में बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका पंजीयन क्रमांक .....है। मेरा/संस्थान का जी.एस.टी. नं..... , टिन नं....., पैन नं .....है। मैं .....श्रेणी के ठेकेदार के रूप में पंजीकृत हूँ।

3. यह कि .....(मुख्य नियोजक का नाम व पता), जिसकी प्रोजेक्ट लागत लगभग रूपये.....है तथा कुल निर्माण क्षेत्र .....वर्ग फुट है, का निर्माण कार्य मेरे द्वारा किया गया है। उक्त निर्माण पर नियमानुसार देय उपकर राशि .....रूपये दिनांक .....को जमा करा दिये है/उपकर राशि देय नहीं है। मेरे द्वारा दिनांक.....से दिनांक.....के मध्य कराये गये उक्त निर्माण में निम्नलिखित श्रमिक नियोजित किये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

	नाम–	पिता का नाम–	क्या कार्य किया–	कब से कब तक कार्य किया
I				
II				
III				

(यदि सूचना विस्तृत है तो एक अलग से प्रपत्र लगावें)

4. यह कि इस निर्माण कार्य पर श्री/श्रीमती .....पत्नी/पुत्र.....निवासी..... ..... आधार नं.....,भामाशाह नं.....,मोबाईल नं..... ने दिनांक .....से दिनांक.....तक कुल .....दिन बेलदार/मिस्त्री/.....के रूप में कार्य किया है। श्रमिक को मेरे अधीन किये गये कार्य का रूपये.....प्रतिदिन की दर से पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त श्रमिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

5. यह कि मेरे द्वारा दिया गया उल्लेखित समस्त विवरण/निर्माण श्रमिक प्रमाणीकरण पूर्णतः सही है। प्रमाण–पत्र का विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 420 एवं अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत मेरे विरूद्ध की गई कार्यवाही की मैं पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं एवं कथित प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रमाणित किये गये श्रमिक द्वारा प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिक से कराने हेतु मैं बाध्य रहूँगा।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

(ठेकेदार का नाम मय सील)

घोषणा–पत्र–(स)

(संस्थान/फर्म जो कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है एवं निर्माण संबंधी कार्यो में कार्यरत है।)

1. मैं (नाम) .....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....उम्र..... (वर्ष), निवासी वार्ड.....ग्राम/कॉलोनी.....पंचायत समिति/नगर पालिका.....जिला..... का रहने वाला हूँ। मैं मैसर्स..... .....(संस्थान का नाम व पता) का प्रबंधक/मालिक/निदेशक हूँ। मेरे आधार नम्बर .....,भामाशाह नम्बर....., एवं मोबाईल नम्बर.....है।

2. यह कि संस्थान श्रम विभाग.....में बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका पंजीयन क्रमांक .....है/पंजीयन की आवश्यकता नियमानुसार नहीं है। संस्थान का जी.एस.टी. नं....., टिन नं....., पैन नं .....है।

3. यह कि संस्थान में भवन एवं अन्य संनिर्माण संबंधी कार्य हेतु निम्नलिखित श्रमिक नियोजित है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

	नाम–	पिता का नाम–	उम्र–	कार्य विवरण–	कब से कार्यरत है–
I					
II					
III					

(यदि सूचना विस्तृत है तो एक अलग से प्रपत्र लगावें)

4. यह कि श्री/श्रीमती .....पत्नी/पुत्र.....निवासी..... ..... आधार नं.....,भामाशाह नं.....,मोबाईल नं..... ने दिनांक ..... से दिनांक.....तक कुल .....दिन बेलदार/मिस्त्री/.....के रूप में संस्थान में कार्य किया है। श्रमिक को मेरे अधीन किये गये कार्य का रूपये.....प्रतिदिन की दर से पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त श्रमिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

5. यह कि मेरे द्वारा दिया गया उल्लेखित समस्त विवरण/निर्माण श्रमिक प्रमाणीकरण पूर्णतः सही है। प्रमाण–पत्र का विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 420 एवं अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत मेरे विरूद्ध की गई कार्यवाही की मैं पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं एवं कथित प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रमाणित किये गये श्रमिक द्वारा प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिक से कराने हेतु मैं बाध्य रहूँगा।

दिनांक.....
स्थान.....

हस्ताक्षर.....
(प्रबंधक का नाम मय सील)